न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर0ए0एस0)
प्रार्थना पत्र संख्या –45/2019
दायरा दिनांक – 22.04.2019
निर्णय दिनांक – 29–1–21

उनवान

1. सीताराम पुत्र सुरजा जाति जोगी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0

-- वादी

बनाम

1. तहसीलदार,बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर जिला अलवर राज0

-- असल प्रतिवादी

2. ग्यारसी देवी पत्नी सुरजा जाति जोगी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0
3. बंशी पुत्र सुरजा जाति जोगी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0
4. लीलाराम पुत्र सुरजा जाति जोगी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0
5. सूवाराम पुत्र सूरजा जाति जोगी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0
6. बालकिशन पुत्र सूरजा जाति जोगी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0

--तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. वादी – श्री मुकेश सिंह शेखावत एड.
2. असल प्रतिवादी –पैरोकार सरकार

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हमारे समक्ष पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि विवादित आराजी हाल ख0नं0 365 रकबा 1.04 है0, 366 रकबा 0.20 है0, 367 रकबा 1.06 है0 वाकै मौजा मण्डिजा बसई तह0बानसूर हि0 1/2 वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की बुजुर्गानी की आराजी है जिसमें वादी अपने पिता के जीवनकाल से ही तरतीबी प्रतिवादीगण के साथ अपने पिता के हिस्से पर बहिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मुताबिक हिस्सा आज दिन काबिज काश्त है। वादी तथा तरतीबी प्र[illegible] एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य ही है। वादी का वास्तविक व सही नाम [illegible] है तथा परिवार व गाँव में वादी को मुखराम के नाम से भी [illegible] जाता है । [illegible] के सभी दस्तावेजात यथा राशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र , भामाशाह कार्ड इत्यादि में वादी का सही नाम सीताराम ही दर्ज है परन्तु विवादित आराजी में वादी के पिता के विरासत के नामान्तकरण सं0 568 वाकै मौजा मण्डीजा बसई में वादी का नाम प्रतिवादी नं0 01 के अधीनस्थ कर्मचारियों ने सद्भाविक भूल से सीताराम के बजाय मुखराम दर्ज कर दिया। जिस कारण जमाबंदी सम्वत् 2066 के भी कॉलम खातेदारी में वादी का नाम सीताराम के बजाय मुखराम दर्ज हो गया जिसकी पुनार्वृति राजस्व रिकॉर्ड में आज दिनांक तक होती चली आ रही है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी का नाम मुखराम पुत्र सुरजा के बजाय सीताराम पुत्र सुरजा दुरुस्त करने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावे।

वाद पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

वादी ने अपना शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–01 जमाबंदी सम्वत् 2070–73 , प्रदर्श–02 नकल जमाबंदी सम्वत् 2066–69, प्रदर्श–03 नामान्तकरण सं0 568 मौका मण्डिजा बसई, प्रदर्श– 4 A फोटो प्रति राशन कार्ड, प्रदर्श–5 A फोटो प्रति भामाशाह कार्ड, प्रदर्श–6 A छायाप्रति फोटो पहचान पत्र , प्रदर्श–7 प्रमाण–पत्र सरपंच ग्राम पंचायत श्यामपुरा पेश किये है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया। वादी का सही नाम मुताबिक पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, सीताराम ही है परन्तु विरासत नामान्तकरण खोलते समय वादी का नाम गाँव में बोलते नाम मुखराम दर्ज कर दिया गया, जिसकी तस्दीक सरपंच ग्रा0पं0 श्यामपुरा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र से बखूबी होती है। उक्त विवेचानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि आ0 ख0 नं0 365 रकबा 1.04 है0, 366 रकबा 0.20 है0, 367 रकबा 1.06 है0 वाकै मौजा मण्डिजा बसई तह0 बानसूर में दर्ज वादी का नाम मुखराम पुत्र सुरजा के स्थान पर सीताराम पुत्र सुरजा शुद्ध कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दपतर दाखिला हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 21/7/21 को यह आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

rajesh/court decision/SDO/2021/88 RT ACT/ सीताराम बनाम तहसीलदार

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर0ए0एस0)
प्रार्थना पत्र संख्या –45/2019
दायरा दिनांक –22.04.2019
निर्णय दिनांक – 21-1-21

उनवान

1. सीताराम पुत्र सुरजा जाति जोगी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0

-- वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार,बानसूर बाहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर जिला अलवर राज0

-- असल प्रतिवादीगण

2. ग्यारसी देवी पत्नी सुरजा जाति जागी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0
3. बंशी पुत्र सुरजा जाति जोगी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0
4. लीलाराम पुत्र सुरजा जाति जोगी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0
5. सूवाराम पुत्र सूरजा जाति जोगी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0
6. बालकिशन पुत्र सूरजा जाति जोगी निवासी श्यामपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0

--तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. वादीया – श्री मुकेश सिंह शेखावत एड.
2. अप्रार्थीगण –अनुपस्थित

-:पर्चा डिक्रीः-

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि आ0 ख0 नं0 365 रकबा 1.04 है0, 366 रकबा 0.20 है0, 367 रकबा 1.06 है0 वाके मौजा मण्डिजा बसई तह0 बानसूर में दर्ज वादी का नाम मुखराम पुत्र सुरजा के स्थान पर सीताराम पुत्र सुरजा शुद्व कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दफ्तर दाखिला हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:09 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 21-1-21 को यह पर्चा मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

rajesh/court decision/SDO/2021/88 RT ACT/ सीताराम बनाम तहसीलदार

Scanned with CamScanner